MANUAL – 7

SEC 4. (1) (b) (vii) THE PARTICULARS OF ANY ARRANGEMENT THAT EXISTS FOR CONSULTATION WITH, OR REPRESENTATION BY, THE MEMBERS OF THE PUBLIC IN RELATION TO THE FORMULATION OF ITS POLICY OR IMPLEMENTATION THEREOF

This office acts in close liaison and consultation with the State Government as well as prominent local Industrial Associations in the formulations and implementation of the developmental scheme, regulatory work, etc. of Government of India. The Officer In-charge of this Office, explains the various developmental Schemes of the Government of India as well as the functions and activities of this office including consultancy services, trouble shooting assignments, preparation of project reports etc., to the public during every awareness / facilitation programmes / seminars / workshops. The members of public are free to give feedback / suggestions for the implementation, modifications and formulation of policies / schemes / activities for the overall development of textile industry. Our field officers are also in various committees.

Over and above informal meetings and consultation with the stake holders of the Textile Industrial Trade, certain formal committee / board are also constituted for various purposes. The major committees are given below:

1. Ministry of Textiles, Government of India vide its letter No.11/31/2020-Fibre-I dated 14.09.2020 has formulated a Committee on Cotton Production and Consumption (COCPC) for estimation of various data on cotton including production, supply, demand, export and closing stock of cotton etc. every year to help planning strategy for development of the Cotton Sector.

2. Ministry of Textiles, Government of India vide its O.M.No.11/18/2022-Fibre-I dated 25.05.2022 has constituted Textile Advisory Group (TAG) for Cotton, an informal group of deliberate and recommend on issues pertaining to the entire cotton value chain.

3. Hank Yarn Price Monitoring Committee : The committee under the chairmanship of Tx.C. to take stock of the availability and price of hank yarn, the major raw material for the handloom sector.

4. TAMC Technical Advisory cum Monitoring Committee . The committee meets whenever necessity is there.

System of Public Information under RTI Act, 2005

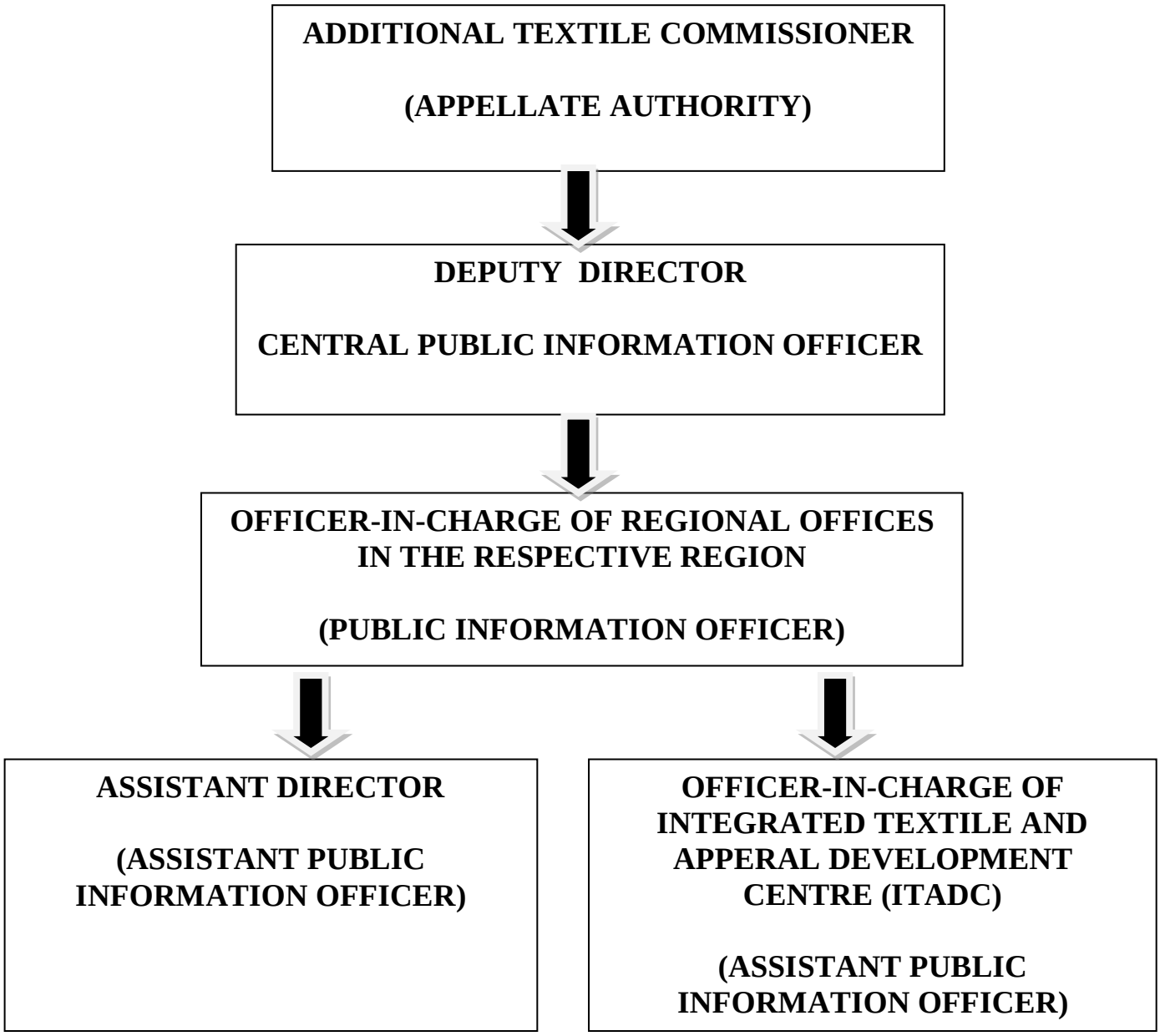

<u>मैनुअल – 7</u>

<u>धारा 4. (1) (बी) **(vii)** अपनी नीति बनाने या उसे लागू करने के संबंध में आम जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण।</u>

यह कार्यालय भारत सरकार की विकास योजनाओं, विनियामक कामों आदि को बनाने और लागू करने के लिए राज्य सरकार और प्रमुख स्थानीय औद्योगिक संघों के साथ मिलकर और सलाह-मशविरा करके काम करता है। इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों या कार्यशाला के दौरान जनता को भारत सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के साथ-साथ इस कार्यालय के कामों और गतिविधियों (जैसे परामर्श सेवा, समस्याओं का समाधान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना आदि) के बारे में जानकारी देते हैं। आम लोग वस्त्र उद्योग के समग्र विकास के लिए नीतियों, योजनाओं या गतिविधियों को बनाने, उनमें बदलाव करने और उन्हें लागू करने के बारे में अपनी राय या सुझाव दे सकते हैं। हमारे फील्ड अधिकारी विभिन्न समितियों में भी शामिल हैं।

वस्त्र औद्योगिक व्यापार के हितधारकों के साथ अनौपचारिक बैठकों और परामर्श के अलावा, विभिन्न उद्देश्यों के लिए कुछ औपचारिक समिति/बोर्ड का भी गठन किया जाता है। प्रमुख समितियां नीचे दी गई हैं:

1. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 11/31/2020-फाइबर-I दिनांक 14.09.2020 के माध्यम से कपास उत्पादन और खपत पर एक समिति (सीओसीपीसी) का गठन किया है, जो कपास क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाने में मदद करने के लिए हर साल कपास के उत्पादन, आपूर्ति, मांग, निर्यात और क्लोजिंग स्टॉक आदि सहित कपास पर विभिन्न आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए है।

2. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 25.05.2022 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/18/2022-फाइबर-I के माध्यम से कपास के लिए वस्त्र सलाहकार समूह (टीएजी) का गठन किया है, जो संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श और सिफारिश करने वाला एक अनौपचारिक समूह है।

3. हैंक यार्न मूल्य निगरानी समिति : हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चे माल हैंक यार्न की उपलब्धता और कीमत का जायजा लेने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में समिति।

4. टीएएमसी : तकनीकी सलाहकार सह निगरानी समिति जब भी आवश्यकता होती है, समिति की बैठक होती है।
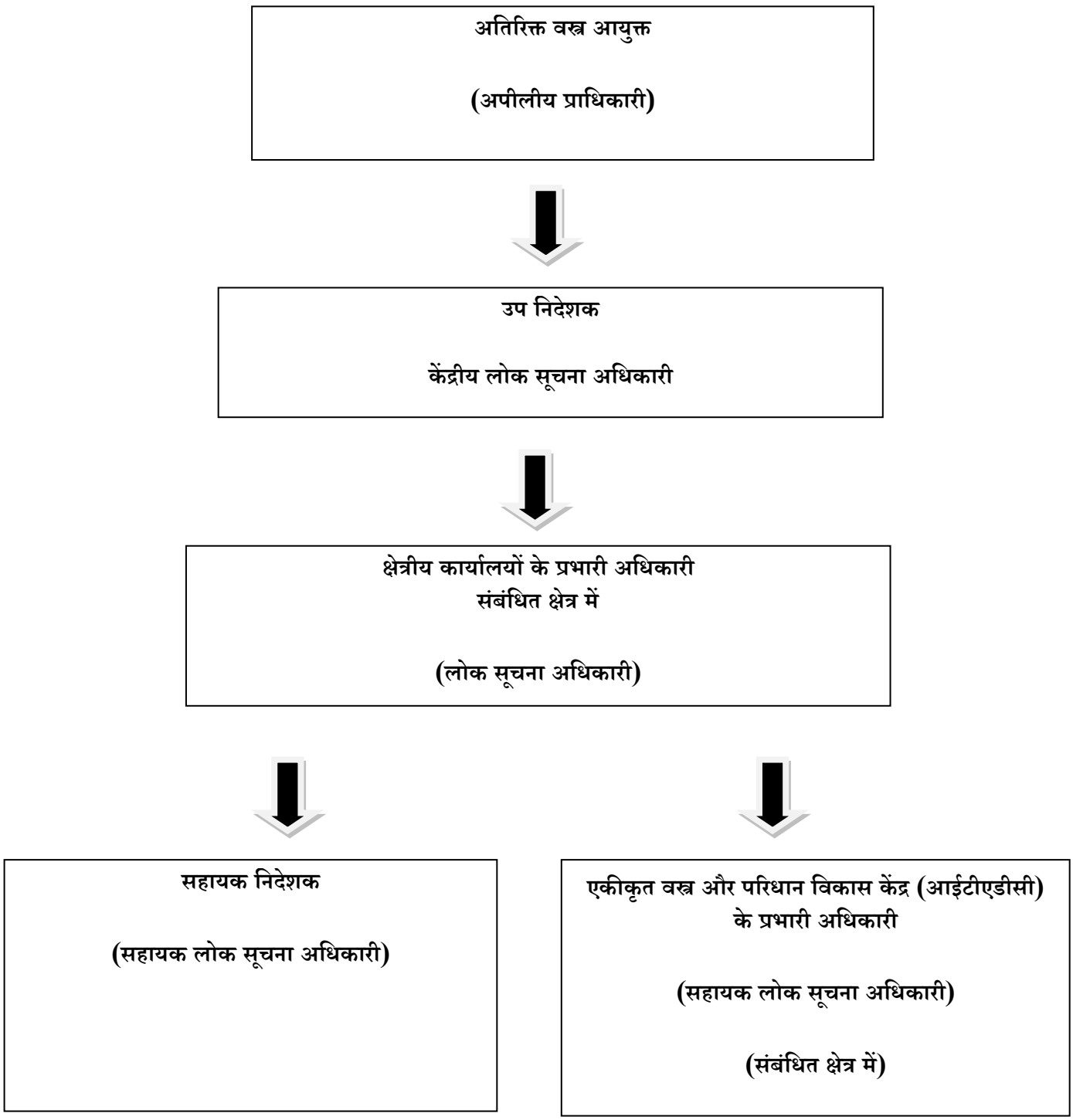
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक सूचना प्रणाली